कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

/संक्षिप्त निविदा सूचना/

क्रमांक 278/लोक –11/2016–17 राजनांदगांव दिनांक 25/5/2016

नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत नीचे दर्शित तालाबों में गहरीकरण एवं पानी निकालने का कार्य हेतु आइटम दर पर संबंधित फर्म/एजेंसी से दो–लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा दिनांक 31.5.2016 को शाम 5.00 बजे तक दर आमंत्रित करती है। प्राप्त लिफाफा दिनांक 2.6.2016 को 4.00 बजे उपस्थित दरदाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे।

क	तालाब/कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करनें की अवधि
1	वार्ड नं. 01 नवागांव में बिड़ी श्रमिक आवास तालाब गहरीकरण कार्य	4.50	5000.00	30 जून 2016
2	वार्ड नं. 01 नवागांव शीतला तालाब गहरीकरण कार्य	3.00	3000.00	30 जून 2016
3	वार्ड नं. 04 नया ढाबा तालाब गहरीकरण कार्य	3.00	3000.00	30 जून 2016
4	वार्ड नं. 04 पुराना ढाबा तालाब गहरीकरण कार्य	5.00	5000.00	30 जून 2016
5	वार्ड नं. 14 गौरीनगर तालाब गहरीकरण कार्य	4.50	5000.00	30 जून 2016
6	वार्ड नं. 20 पेण्ड्री तालाब गहरीकरण कार्य	5.00	5000.00	30 जून, 2016
7	वार्ड नं. 45 कौरिनभाठा तालाब गहरीकरण कार्य	5.00	5000.00	30 जून, 2016
8	वार्ड नं. 46 बसंतपुर तालाब गहरीकरण कार्य	5.00	5000.00	30 जून 2016

उपरोक्त कार्य की निविदा से संबंधित सामान्य नियम शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं वाहन/उपकरण/मोटर पंप आदि की जानकारी कार्यलयीन अवधि में कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के लोककर्म विभाग में अथवा वेबसाईड www.mcrjn.com & http://www.uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

25/5

आयुक्त,
नगर पालिक निगम राजनांदगांव

पृ. क्रमांक 279/लोक –11/2016–17 राजनांदगांव दिनांक 25/5/2016

प्रतिलिपि :–

1 . माननीय .महापौर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ ।
2 माननीय अध्यक्ष, .महापौर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
3 सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम राजनांदगांव

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ0ग0)

निगम सीमांतर्गत तालाब गहरीकण कार्य में किराये पर लगने वाले वाहन/उपकरण/मोटर पंप हेतु विस्तृत शर्तें–

1. अमानती राशि का एफ.डी.आर. प्रथम लिफाफा में तथा वाहनो के स्वामित्व/किरायानामा संबंधित दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय लिफाफा में दर प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाकार को वाहन/उपकरण स्वयं के स्वामित्व अथवा किरायानामा का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नही किये जायेंगे।
3. समस्त वाहनो का रजिस्ट्रेशन एवं जीवित बीमा, ड्रायवरो का ड्रायव्हिंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
4. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी।
5. वाहनो/उपकरणो के खराब होने की स्थिति में दुसरे वाहन/उपकरण तुरंत लगाकर कार्य नियमित रखना होगा अन्यथा स्वीकृत राशि से दुगुनी राशि अर्थदण्ड वसुली की जायेगी।
6. डिवाटरिंग कार्य में लगाये जाने वाले मोटर पंप चालू कंडीशन में निर्धारित क्षमता का होना अनिवार्य होगा। खराब होने पर तुरंत बदलकर डिवाटरिंग कार्य नियमित रखना होगा। पंप बंद होने की स्थिति में पेनाल्टी स्वीकृत राशि से दुगुनी राशि वसूल की जावेगी।
7. कार्य तकनीकी अधिकारियों के निर्देशानुसार समय–सीमा में संपादित करना होगा।
8. संपादित किये गये कार्य के परीक्षण उपरांत देयक का भुगतान किया जावेगा।
9. दरे अंको एवं शब्दो में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट–छांट या अपलेखन मान्य नही किये जायेंगे।
10. कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी तकनीकी अधिकारियों से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है।
11. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंर्तगत 1.00 प्रतिशत् राशि की कटौती निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयको से की जावेगी।
12. सफल निविदाकार को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य की स्थिति संबंधी फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित हो।
13. आहूत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेंगे।

क्रमशः–2

14. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।
15. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. सफल निविदाकार के तीन दिनो के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम का निर्णय सर्वमान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

आयुक्त, 25/5/16
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव